तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट रूघाराम बनाम तहसीलदार 2020/00025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी
श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति –
श्री रूघाराम प्रार्थी स्वंय
श्री घासीराम कड़वा राजपैरोकार (तहसीलदार परबतसर)

निर्णय

दिनांक :– 19.7.21

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है ग्राम जंजीला के खसरा नम्बर 11 रकबा 2.59 हैक्टयर भूमि स्थित है, वर्तमान चालू जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम रूघाराम पुत्र हुक्माराम के स्थान पर रूपाराम पुत्र हुक्माराम गलत दर्ज हो गया है। जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने ग्राम जंजीला के खसरा नम्बर 11 जिसके पुराने खसरा नम्बर 3 में रूपाराम पुत्र हुक्माराम के स्थान पर रूघाराम पुत्र हुक्माराम दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी ने जबाब पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर पुराना 3 रकबा 2.59 हैक्टयर में सुचाराम, मेघाराम, रूपाराम, छोटूराम पि. हुक्माराम कौम जाट सा. देह खातेदारी दर्ज है सम्वत 2050–53 व 2054–57 की जमाबंदी में सुखाराम, मेघाराम, रूघाराम, छोटूराम पि. हुक्माराम कौम जाट सा. देह दर्ज है, शेष बिन्दु न्यायालय से सम्बन्धित है।

प्रार्थी एवं राजपैरोकार तहसीलदार परबतसर की बहस सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने नामान्तकरण संख्या 726 की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार ग्राम जंजीला के गत खसरा नम्बर 3 व 3/1 की भूमि में दर्ज खातेदार हुक्माराम पुत्र भागीरथ राम फौत होने पर उसके विधिक वारिसान सुखाराम, रूघाराम, मेघाराम, छोटूराम पिता हुक्माराम दर्ज हुआ था। तत्पश्चात भू – प्रबन्धन कार्य हुआ जिसमें गत खसरा नम्बर 3 के नवीन खसरा नम्बर 11 रकबा 2.59 हैक्टयर अंकित हुआ है, लेकिन जमाबन्दी दर्ज करते समय सुखाराम, मेघाराम, रूपाराम, छोटूराम पिता हुक्माराम अंकित कर दिया गया जबकि रूपाराम के स्थान पर पूर्व नामान्तकरण एवं जमाबन्दी में सही नाम रूघाराम अंकित है। जिसको दुरूस्त करवाने के लिऐ प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जमाबन्दी सम्वत 2050–53 व 2054–57 की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम रूघाराम पुत्र हुक्माराम ही

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)